संख्या-72/2020/1302/26-3-2020-1(13)/2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 जून 2020

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या मेमो/सक/ एन0एस0ए0पी0/2020-21, दिनांक- 30.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू0-41923.94 लाख से 41,92,393 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के पश्चात अवशेष 7,94,661 लाभार्थियों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान किये जाने हेतु धनराशि रू0-7946.61 लाख की शासनादेश संख्या-56/ 2020/1029/26-3-2020, दिनांक-01.04.2020 के द्वारा आपके निवर्तन पर राज्यांश के रूप में रखी गयी धनराशि से व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुमति वित्त विभाग द्वारा लागू किये गये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 तथा में दिये गये दिशा-निर्देशांे का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1- 149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-72/2020/1302(1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।